



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276379
CG-DL-E-22092026-276379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4932]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4932]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5123(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 934 [हिरापुर - सागर खंड (77.20 किमी) को छोड़कर], सं. 135बी, सं. 135सी, सं. 339, सं. 339बी, सं. 539, सं. 43 [कटनी - उमरिया खंड (69.10 किमी) और शहडोल - अनूपपुर - मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा खंड (126.37 किमी) को छोड़कर], सं. 543, सं. 543के, सं. 943, सं. 146बी [बड़ी - बुधनी खंड (53.10 किमी) और नसरुल्लागंज - संदलपुर खंड (43.90 किमी) को छोड़कर], सं. 346 , सं.	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"

347ए, सं. 347बी [खेरी - आशापुर - रुधी - सुरगांव निपानी (खंडवा बाईपास) - देशगांव - खरगोन - जुलवानिया खंड (किमी 0.000 किमी 286.330) को छोड़कर], सं. 347सी, सं. 548सी, सं. 552, सं. 752बी, सं. 752सी, सं. 752जी, सं. 56, सं. 161जी के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 4677 (अ) दिनांकित 24 अगस्त, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5123(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"13	So much of National Highways No. 934[excluding from Hirapur – Sagar Section (77.20 km)], No. 135B, No. 135C, No. 339, No. 339B, No. 539, No. 43[excluding from Katni – Umari Section (69.10 km) and from Sahdol – Anuppur – Madhya Pradesh/Chhattisgarh border Section (126.37 km)], No. 543, No. 543K, No. 943, No. 146B[excluding from Badi – Budhni Section (53.10 km) and from Nasrullahganj – Sandalpur Section (43.90 km)], No. 346, No. 347A, No. 347B[excluding from Kheri – Ashapur – Rudhy – Sargaon Nipani (Khandwa Bypass) – Deshgaon – Khargon – Julwania Section (Km 0.000 to Km 286.330)], No. 347C, No. 548C, No. 552, No. 752B, No. 752C, No. 752G, No. 56, No. 161G as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh".

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4677 (E), dated the 24th August, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5124(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उक्त तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-30	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा - मनगवां - रीवा - कटनी - जबलपुर - बरेला - मंडला - मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-34	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा - छतरपुर - हीरापुर - दमोह - जबलपुर - लखनादौन खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-135	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा (हनुमना के पास) - मऊगंज - मनगवां खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-39	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा (झांसी के पास) - नौगांव - छतरपुर - बमीठा - पन्ना - सतना - रीवा - सीधी - मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-45	ओबेदुल्लागंज - बरेली - कोड़ा जमानिया - जबलपुर - शाहपुरा - डिंडौरी - कबीर चबूतरा - मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-46	मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर के पास एनएच-44 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद से होकर मध्य प्रदेश राज्य में बेतूल में एनएच-47 के अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-52	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा - राजगढ़ - ब्यावरा - देवास - इंदौर - सेंधवा - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-753बीई	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा-बुरहानपुर खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।
एनएच-752डी	"मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा पुल (लोहार पिपलिया गांव) के पास एनएच-52 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर उज्जैन, पानबिहार, खेड़ा खजुरिया, सुहागडी और राजस्थान राज्य में हसमदी गांव को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य में गरोठ के पास एनई4 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग, जिसमें चंदेसरा के पास अपने जंक्शन से शुरू होकर इंगोरिया, बड़नगर, खेड़ा (बदनावर), पटलावाड़, थांदला को जोड़ते हुए तिमारवानी के पास एनई4 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला प्रथम स्पर और बांगड़ के पास अपने जंक्शन शुरू होकर मध्य प्रदेश राज्य में देवास के पास समाप्त होने वाला द्वितीय	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।

	स्पर शामिल हैं।”	
एनएच-47	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा - इंदौर - बैतूल - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026 -पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5124(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-30	Uttar Pradesh/Madhya Pradesh border – Mangawan – Rewa – Katni – Jabalpur – Barela – Mandla – Madhya Pradesh/Chhattisgarh border Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-34	Uttar Pradesh/Madhya Pradesh border – Chhatarpur – Hirapur – Damoh – Jabalpur – Lakhnadon Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-135	Uttar Pradesh/Madhya Pradesh border (near Hanumana) – Mauganj – Mangawan Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-39	Uttar Pradesh/Madhya Pradesh border (near Jhanshi) – Nowgaon – Chhatarpur – Bamitha – Panna – Satna – Rewa – Sidhi – Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-45	Obdullaganj – Bareli – Koda Jamaniya – Jabalpur – Shahpura – Dindori – Kabir Chabutra – Madhya Pradesh/Chhattisgarh border Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-46	The highway starting from its junction with NH-44 near Gwalior in the State of Madhya Pradesh, Shivpuri, Guna, Biora, Bhopal, Obeddullaganj, Hoshangabad and terminating at its junction with NH-47 at Betul in the State of Madhya Pradesh.	Entire NH in the State of Madhya Pradesh
NH-52	Rajasthan/Madhya Pradesh border – Rajgarh – Biora – Dewas – Indore – Sendhwa – Madhya Pradesh/Maharashtra border Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-753BE	Maharashtra/Madhya Pradesh border –Burhanpur Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh
NH-752D	“The highway starting from its junction with NH- 52 near Kshipra Bridge (Village Lohar Piplia) connecting Ujjain, Panbihar, Kheda Khajuriya, Suhagdi in the state of Madhya Pradesh, Hasamdi village in the state of Rajasthan and terminating at its junction with NE4 near Garoth in the state of Madhya Pradesh including first spur starting from its junction near Chandesara connecting Ingoriya, Badnager, Kheda (Badnawar), Patlawad, Thandla and terminating at its junction with NE4 near Timarwani and second spur starting	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh

	from its junction near Bangar and terminating near Dewas in the state of Madhya Pradesh”.	
NH-47	Gujarat/Madhya Pradesh border — Indore — Betul —Madhya Pradesh/Maharashtra border Section (In the State of Madhya Pradesh)	Entire NH falling in the State of Madhya Pradesh

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5125(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में 2 नवंबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2705(अ) दिनांकित 2 नवंबर, 2010 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5125(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2705(E), dated the 2nd November, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 2nd November, 2010, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5126(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में 28 जून, 2022 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2919(अ) दिनांकित 28 जून, 2022 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5126(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2919(E), dated the 28th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th June, 2022, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5127(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में 8 जुलाई, 2022 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3138(अ) तथा का. आ. 3140(अ) दिनांकित 8 जुलाई, 2022 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5127(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3138(E) & S.O. 3140(E), dated the 8th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 8th July, 2022, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5128(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 26 मार्च, 2021 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1385(अ) दिनांकित 26 मार्च, 2021 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5128(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1385(E), dated the 26th March, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 26th March, 2021, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5129(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 12 जनवरी, 2023 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 197(अ) दिनांकित 12 जनवरी, 2023 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5129(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 197(E), dated the 12th January, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 12th January, 2023, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5130(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2981(अ) दिनांकित 28 जुलाई, 2021 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5130(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2981(E), dated the 28th July, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2021, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5131(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4581(अ), दिनांकित 17 दिसंबर, 2020 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5131(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4581(E), dated the 17th December, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 17th December, 2020, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना**नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026**

का.आ. 5132(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 948(अ), दिनांकित 30 अप्रैल, 2012 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5132(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 948(E), dated the 30th April, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 30th April, 2012, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना**नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026**

का.आ. 5133(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 11 अगस्त, 2021 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3233(अ), दिनांकित 11 अगस्त, 2021 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5133(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3233(E), dated the 11th August, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 11th August, 2021, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5134(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 263(अ) दिनांकित 27 जनवरी, 2014 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5134(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 263(E), dated the 27th January, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 27th January, 2014, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5135(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 795(अ) दिनांकित 1 अप्रैल, 2008 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5135(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 795(E), dated the 1st April, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st April, 2008, with immediate effect.

[F. No. . NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5136(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 910 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

3	मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर बाईपास से होते हुए ग्वालियर - देवास - राऊ	आगरा - इंदौर खंड के किमी. 103.00 से किमी. 610.00 तक आगरा में किमी. 0.0 और इंदौर - मुंबई खंड के किमी. 0.00 से किमी. 12.60 तक
7	मध्य प्रदेश राज्य में कटनी - जबलपुर - लखनादौन	वाराणसी - नागपुर खंड के किमी 377.6 से किमी 544.00 तक।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 910 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5136(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910(E), dated the 21st April, 2010, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

3	Gwalior – Dewas – Rau via Indore Bypass in the State of Madhya Pradesh	From Km. 103.00 to Km. 610.00 of Agra – Indore section Km. 0.0 at Agra and from Km. 0.00 to 12.60 of Indore – Mumbai section
7	Katni – Jabalpur – Lakhnadon in the state of Madhya Pradesh	From Km. 377.6 to Km. 544.00 of Varanasi – Nagpur Section.

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 910(E), dated the 21st April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5137(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1585 (अ), दिनांक 10 नवंबर, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

3	इंदौर - खलघाट	कि.मी. 12.60 से कि.मी. 84.70
---	---------------	------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/4/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1585 (अ), दिनांक 10 नवंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5137(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1585(E), dated the 10th November, 2005, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

3	Indore – Khalghat	Km.12.60 to Km 84.70
---	-------------------	----------------------

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1585(E), dated the 10th November, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5138(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5216 (अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

12ए	मंडला - चिलपी खंड (मध्यप्रदेश राज्य में)	कि.मी. 89.600 से कि.मी. 192.400
-----	---	---------------------------------

[फा. सं. . एनएच-14013/4/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 5216 (अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5138(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5216(E), dated the 11th October, 2018, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

12A	Mandla - Chilpi Section (In the State of Madhya Pradesh)	Km. 89.600 to Km. 192.400
-----	---	---------------------------

[F. No. NH-14013/4/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 5216(E), dated the 11th October, 2018